विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

चंडीगढ़ मेयर चुनाव– नैतिक पतन की पराकाष्ठा

चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की चर्चा पूरे देश में लगातार चल रही है। वैसे तो चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र है और कुल लगभग 15 लाख की आबादी वाला शहर है । इसमें मेयर का चुनाव सामान्यतया किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं करता है। नगर निगम चंडीगढ़ के चुने हुए पार्षद मिलकर प्रतिवर्ष मेयर का चुनाव करते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के गत चुनावों में भाजपा के 14, शिरोमणि अकाली दल का 1, आम आदमी पार्टी के 12 और कांग्रेस के 8 पार्षद निर्वाचित हुए थे। वहां का सांसद भी मनोनीत सदस्य के रूप में मेयर चुनाव में भाग लेता है वर्तमान में स्थानीय सांसद भाजपा से है।

इस प्रकार 36 मतदाताओं में से 20 कांग्रेस – आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में तथा 16 भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में थे । इसका परिणाम बड़ी आसानी से घोषित हो सकता था । किंतु 30 जनवरी, 2024 को मतदान के बाद मतगणना का परिणाम जब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने घोषित किया तो उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजयी घोषित कर दिया। घोषित परिणाम के अनुसार भाजपा उम्मीदवार सोनकर को 16 मत और कॉंग्रेस–आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 मत प्राप्य हुए। आठ मत अवैध घोषित कर दिए। जो मत अवैध माने गए, वे सब कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। यह सर्वविदित है कि किसी भी मत पत्र को अवैध तभी किया जा सकता है जब यह स्पष्ट न हो कि मत किसे दिया गया है या किसी प्रकार का निशान मत पत्र पर बना दिया गया हो।

मत गणना की पूरी प्रक्रिया सी सी टीवी केमरे में रिकार्ड हो रही थी। बाद में उसी दिन मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह स्वयं आठ मत पत्रों पर अलग से कोई निशान बना रहे थे और इसी आधार पर उन्होंने इन आठ मत पत्रों को अवैध घोषित कर दिया। स्पष्ट था कि वह मत पत्रों को अवैध करने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि अनिल मसीह चंडीगढ़ भाजपा अल्प संख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष था और वह नगर निगम चंडीगढ़ का मनोनीत पार्षद भी था। अधिकांशतः, किसी निष्पक्ष अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है।

आठ मत पत्र अवैध होने के बाद कॉंग्रेस–आम

आदमी पार्टी के मतों की संख्या 20 से घटकर 12 रह गई । इस प्रकार 'इंडिया' गठजोड़ के कुल 12 मत हुए जबकि 16 भाजपा के पक्ष में थे । इसलिए अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को पराजित घोषित करते हुए भाजपा के उम्मीदवार को विजेता बना दिया। इसके विरुद्ध आम आदमी पार्टी पंजाब – हरियाणा उच्च न्यायालय में गई किन्तु वहां से कोई राहत नहीं मिली एवं केवल नोटिस भेज कर 3 सप्ताह में उत्तर मांगा गया था । इस पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने पूरी रिकॉर्डिंग को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया मत की गणना में हेरा–फेरी की संभावना को देखते हुए, मत गणना का पूरा रिकॉर्ड और पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में लेकर उसे सुरक्षित रखने हेतु पंजाब – हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए ।

इस प्रकरण की सुनवाई 19 फरवरी, 2024 को नियत करते हुए निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को उच्चतम न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया। 19 फरवरी 2024 का दिन उच्चतम न्यायालय में एक प्रकार का बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह से सीधे और तीखे सवाल पूछे, जिनका कोई संतोषप्रद उत्तर अनिल मसीह नहीं दे पाए और केवल टालमटोल ही करते रहे । जब मुख्य न्यायाधीश ने उनसे सीधा यह प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने आठ मत पत्रों पर अपनी ओर से कोई चिन्ह अंकित किया है जिसके आधार पर उन्हें अवैध घोषित किया गया तो पहले तो दाएं–बाएं देखते रहे किन्तु अंततः उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा उनके के पास नहीं बचा । कहा गया है कि झूठ के पांव नहीं होते और अनिल मसीह भी अधिक समय तक सत्य को नहीं छुपा पाए। पूरी घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने से उनका झूठ पकड़ा गया। योजना शायद यह थी कि कुछ समय तक रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया जाएगा ताकि निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा था, उसका कहीं कोई सबूत नहीं बचे । भारतीय जनता पार्टी के दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रही, जिसे खुले न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा देखा गया। इसके बाद दलील के रूप में कुछ भी नहीं बचा था।

इस प्रकार के प्रकरण में सामान्यतया, उच्चतम न्यायालय द्वारा परिणाम को निरस्त करने के बाद दोबारा चुनाव कराने हेतु चंडीगढ़ प्रशासन को कह दिया जाता। यही बात केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कही। यदि ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में निश्चित रूप से जीत प्राप्त कर लेती, क्योंकि पहली मतगणना के बाद आप के तीन पार्षदों को भाजपा ने अपने दल में शामिल कर लिया था ।इस दल बदल के फल स्वरुप, भाजपा के पार्षदों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई तथा कांग्रेस – आम आदमी पार्टी के संयुक्त पार्षदों की संख्या 20 से घटकर 17 रह गई । अतः यदि दोबारा चुनाव होते तो 17 के मुकाबले 19 मतों से भाजपा का उम्मीदवार मेयर बन जाता । ऐसा करने का उच्चतम न्यायालय ने कोई अवसर नहीं दिया ।

> **मतदाता सूचियां का सही होना भी एक सही एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलों को यह सतर्कता बरतनी होगी कि कुछ व्यक्तियों के नाम जानबूझ कर हटाये नहीं जाएं । आजकल, सबको पता होता है कि कौन सा मोहल्ला या कौन सा गांव किस दल के साथ में है? दूसरे दल के मतदाताओं के बड़ी संख्या में नाम हटाने के मामले पूर्व में आते रहे हैं, किन्तु मतदान के दिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है।**

उच्चतम न्यायालय ने अपने ही स्तर पर अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने हेतु प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए स्पष्ट निर्णय दे दिया कि पुराना परिणाम निरस्त कर दिया जाए। उसी मतगणना में गलत रूप से अवैध घोषित किए गए मतों को आम आदमी पार्टी के मत मानते हुए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 16 के मुकाबले 20 मत प्राप्त करने पर मेयर के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके बाद कुलदीप कुमार ने मेयर का पद भी संभाल लिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चंडीगढ़ मेयर के प्रकरण का एक बार तो पटाक्षेप हो गया है।

यह संभव है कि सदन में बहुमत की कमी के कारण मेयर के लिए काम करना सरल नहीं हो ।

इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में चुनावी हार को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और उसे जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऊपरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है और केवल निर्वाचन अधिकारी ने अपने स्तर पर जो गलत कार्य किया उसके आधार पर चुनाव को निरस्त किया गया और उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला लिया। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि निर्वाचन अधिकारी को उच्चतम न्यायालय में झूठ बोलने के लिए नोटिस दिया जाए और उनसे इस बात का भी स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उनके विरुद्ध आपराधिक कृत्य के लिए अभियोजन की कार्यवाही क्यों ना की जाए?

यह बात सामान्य विवेक से सही प्रतीत नहीं होती कि अनिल मसीह, जो कि भाजपा से जुड़ा हुआ था, ने केवल अपने स्तर पर इतनी बड़ी धोखाधड़ी की, विशेष कर तब जबकि यह सारा दृश्य कैमरे में अंकित हो रहा था। अनिल मसीह शायद इसीलिए बार–बार कैमरे की ओर देख रहा था कि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके द्वारा किए गए गलत कार्य कैमरा में कैद तो नहीं हो रहे हैं? उसका दुर्भाग्य यह रहा कि उसका सारा कृत्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। संभावना इस बात की अधिक है कि अनिल मसीह ने यह सारा कार्य बीजेपी के किसी उच्च पदाधिकारी के इशारे पर ही किया होगा, विशेष रूप से इस आश्वासन के बाद कि उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी । यह तो भला हो उच्चतम न्यायालय का, जिसने इस प्रकरण का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया एवं एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने ही स्तर पर चुनाव को निरस्त करते हुए हारे हुए उम्मीदवार को विजेता घोषित किया।

यहां प्रश्न केवल चंडीगढ़ के मेयर का ही नहीं है । कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जो पूरे देश में होंगे । जब 36 वोटो की गणना करने में इस प्रकार की धांधली खुले आम की जा सकती है और अपनी हार को जीत में बदलने का प्रयास किया जा सकता है, तो फिर जब देश का चुनाव होगा, तो किस–किस स्तर पर क्या–क्या काम किया जाएगा, यह कहना मुश्किल है ।

भाजपा सदैव नैतिकता की दुहाई देती रही है। देश की जनता भी अयोध्या में प्राण–प्रतिष्ठा होने के बाद, रामराज्य की ओर कदम बढ़ाने की आशा कर रहा था। भगवान राम के भक्तों द्वारा जिस प्रकार मर्यादाहीन आचरण किया गया, वह दुःखद और आश्चर्यजनक है। उपयुक्त होता यदि भाजपा के बड़े नेता चंडीगढ़ मेयर के चुनाव संबंधी घटना पर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करते हुए अनिल मसीह के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करते। ऐसा न करके उन्होंने नैतिक पतन की पराकाष्ठा का ही परिचय दिया है। लगता है, किसी भी राजनीतिक दल से नैतिकता की अपेक्षा करना ही बेकार है।

आने वाले लोक सभा चुनावों में चंडीगढ़ की घटना से सबक लेते हुए, न केवल निर्वाचन आयोग को अपनी कार्य प्रणाली को चुस्त–दुरस्त बनाना होगा अपितु सभी दलों को भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी।

मतदाता सूचियां बनने से लेकर मतदान और मतगणना तक पूरी निगरानी सभी दलों को करनी होगी जिससे धांधली की संभावना को समाप्त किया जा सके। लोकतंत्र जीवित ही तब रहेगा, जब वही चुना जाए, जिसे वास्तव में मतदाताओं का समर्थन मिले।

चुनाव में होने वाले अनाप–शनाप ख़र्चे पर नियंत्रण भी आवश्यक है किन्तु यह तभी संभव है जब उम्मीदवार के ख़र्चे की सीमा में राजनीतिक दल द्वारा किए गए व्यय को आनुपातिक रूप से उसके व्यय में जोड़ा जाये।

मतदाता सूचियां का सही होना भी एक सही एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलों को यह सतर्कता बरतनी होगी कि कुछ व्यक्तियों के नाम जानबूझ कर हटाये नहीं जाएं। आजकल, सबको पता होता है कि कौन सा मोहल्ला या कौन सा गांव किस दल के साथ में है? दूसरे दल के मतदाताओं के बड़ी संख्या में नाम हटाने के मामले पूर्व में आते रहे हैं, किन्तु मतदान के दिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ई वी एम का विरोध तो चल ही रहा है। इसका एक विकल्प तो मत पत्रों के आधार पर चुनाव कराना है। दूसरा विकल्प यह है कि वी वी पेट की पर्ची मतदाताओं को मिले एवं जहां मतों में अंतर अधिक न हो, वहां पर मतों का मिलान वी वी पेट की पर्चियां से किया जाय।

चंडीगढ़ के प्रकरण से तो यह स्पष्ट हो ही गया है कि चुनाव में जीत के लिए जो किया गया उसे यदि 'मतों की चोरी' के रूप में देखा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा तो यह होगा कि अनिल मसीह से पूरी विस्तृत जांच करके यह पता लगाया जाए कि उसने यह सारा काम किसके इशारे पर किया? यदि इस बारे में कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी चुनाव में भी संदेह के बादल मंडराते रहेंगे । महत्वपूर्ण है कि चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए अपितु ऐसा होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। नैतिकता और शुचिता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। आशा है इस प्रकार की घटनाओं पर भविष्य में पूर्ण विराम लगेगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता को अहिरावण पाताल हर ले गया, है कोई हनुमान?

डॉ. वीर बहादुर सिंह

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी राजस्थान में वर्षों से सुप्तावस्था में चल रही है इसकी दयनीय स्तिथि के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से सभी शिक्षा मंत्री और उनके सचिव दोषी हैं। कृषि उच्च शिक्षा का हाल प्रदेश में बहुत बुरा है। मैं अपने अनेक लेखों के माध्यम से कृषि शिक्षा की कमिओं के बारे में अखवार में लिखता रहा हूँ। लेकिन कही कोई प्रतिक्रिया नहीं हुयी। मेने राज्य सरकार को उदयपुर के दो महाविद्यालय यथा डेरी व् खाद्य प्रौद्योगिकी और फिशरीज को बंद करने की एक बार सलाह भी दे डाली थी उस पर भी सरकार सो गयी, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी ठीक भी है अपनी करतूतों पर कुछ भी कार्यवाही करना कमजोरी की धारणा को पुष्ट करता है इसलिए सरकार को चुप रहने में ही भलाई है।

कृषि उच्च शिक्षा को बिगाड़ने में कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली की सर्वोच्च भूमिका है। इस संसथान का काम आरम्भ में केवल वित्तीय सहायता से प्रदेशों की कृषि शिक्षा को सुद्रण करना था लेकिन ऐसा करते करते कृषि अनुसन्धान परिषद् विश्व विद्यालयों की स्वायत्ता को धीरे–धीरे ख़त्म करती गयी चार वर्ष का स्नातक प्रोग्राम पूरे देश में लागू करवा दिया सभी संकायों में। आज कृषि स्नातक में चार वर्ष या आठ समेस्टर में लगभग 46–50 विषय हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए उपयुक्त फैकल्टी कभी दी नहीं गयी छात्र कैसे डिग्री लेते हैं किस गुणवत्ता की, यह अलग से अनुसन्धान का विषय है। आश्चर्य तो इस बात का है कि राज्यपाल कुलाधिपति होते हुए इस अवनति पर आँख मूदे रहते हैं। दीक्षांत समारोह में भी वे कभी फैकल्टी कमिओं के बारे में कोई बात नहीं कहते।

आवशयकतानुसार फैकल्टी नहीं होना इसका मूल कारण तो है ही, उस पर उन्हें कुलपति से आवश्यक फीडबैक नहीं मिलता।संकाय समितियां और कोर्स समितियां भी इस कारण कमजोर कर दी गयी हैं।कृषि अनुसन्धान परिषद् ने हर बार डींस कमेटियाान बनाकर विश्व विध्लयों में विधान के अनुसार बानी संकाय समिति और कोर्स समिति एक तरह से अर्थहीन कर दी हैं। कृषि अनुसन्धान परिषद् का हस्तक्षेप बंद कर स्वायत्ता को सही अर्थों में स्थापित किया जाय कुलाधिपति को चाहिए कि चार वर्ष का पाठ्य क्रम तत्काल प्रभाव से बंद करा कर पुनः तीन वर्ष का लागू हो।

मेरे पास इस अनुसंशा के लिए पर्याप्त लॉजिक है। राज्यपाल से अनुरोध है की वे चार वर्षीय पाठ्यक्रम के दो तीन गोल्ड मेडलिस्ट मेरिटोरियस छात्रों को राज भवन बुलाकर कुलपति के साथ मुझे आमंत्रित कर लें मैं वहीं दिखा दूँगा कि चार वर्षीय कोर्स से दो वर्षीय स्नातक कोर्स जो मेने एक प्राइवेट कॉलेज से किया है, के समक्ष चार वर्षीय कोर्स की कितनी अहमियत है? इसी प्रकार अधिस्नातक पढ़ाई के लिए भी कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होनी चाहिए।

प्रवेश में पात्रता के लिए केवल एलिजिबिलिटी परीक्षा के थ्योरी के अंक ही मेरिट सूची बनाने में उपयुक्त होंनें चाहिए। वर्तमान में प्रदेश के सभी कृषि विद्यालय प्रसार कार्यों पर जीवित हैं उनकी खबर अखवार में छप ती रहती है। अनुसन्धान पर यदा–कदा और शिक्षण पर कोई बात समाचारों में नहीं आती। अनुसन्धान का स्टैण्डर्ड महाविद्यालयों में मौजूद प्रयोगशाला उपकरणों को देखते हुए बहुत ही निम्न स्तर का हो गया है। मेरा मानना है कि पढ़ाई में यदि सुधार हो जाता है तो अनुसन्धान भी अच्छे स्तर का हो जायेगा। इसलिए स्नातक पाठ्यक्रम चार के स्थान पर तीन वर्ष और अधिस्नातक दो की जगह तीन वर्ष का किया जाय। स्नातक प्रोग्राम में 25 प्रतिशत कोर्स ऐसे जिनकी जरुरत छात्र को अपने कार्य क्षेत्र में कभी नहीं पड़ती। कृषि उच्च शिक्षा को पूर्ण स्वायत्ता मिले और कृषि सचिव कृषि अनुसन्धान परिषद् का दखल बंद कर कुलपति ही कुलाधिपति के संरक्षण में पूरी व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए कानूनन जिम्मेदार हों।महाविद्यालयों के डीन महाविद्यालय के विषय अनुकूल हों अन्यथा नहीं। खाद्य प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ हुए 25 वर्ष से अधिक हों गए परन्तु खाद्य प्रौद्योगिकी का न तो कोई टीचर नियुक्त हुआ और न ही कोई डीन। कैसे उन्नति का धागा बटा जायेगा? डेरी व् खाद्य प्रौद्योगिकी में दो स्नातक पाठ्यक्रम होने के उपरांत भी अभी तक अधिस्नातक पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका, वही फिशरीज कॉलेज में संचालित अधिस्नातक पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसका निर्णय पोस्ट ग्रेजुएट कौंसिल और संकाय समिति तथा अकादमिक कौंसिल में भी संभवतः नहीं लिए गए।

अधिस्नातक की शिक्षा की अवधि को में दो साल से बढाकर तीन साल की अनुशंसा करता हूँ, इस बढ़ी हुयी अवधि में अधिस्नातक विषय के सम्बन्ध में स्नातक सत्तर पर कोई मौलिक कमी रही हो उसे पूरा किया जा सकता है।

मास्टर्स और उसके बाद डॉक्टरेट लेवल पर कई विषयों की माइनर जानकारी भी जुटानी पड़ती है। उस पक्ष को सुद्रण करने के लिए यह एक वर्ष निर्धारित होगा। इस प्रकार स्नातक तीन वर्ष (छः सेमिस्टर) और अधिस्नातक या मास्टर्स भी 6 सेमेस्टर हो जायगा। इस परिवर्तन से जहाँ अधिस्नातक पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी वही रिसर्च मास्टर्स और डॉक्टरल लेवल की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। जिन छात्रों को आगे पढ़ाई नहीं करनी है अथवा कम्पटीशन आदि में बैठना है वे स्नातक के 3 वर्ष के बाद ही ऐसे प्रकल्पों के लिए स्वतंत्र होंगे। इस विषय पर पेरेंट्स, छात्र और नौकरी करने वाले कतिपय लोगों से सम्बाद कर इसे अनुमोदित कर लागू किया जाय किसी भी अन्य संस्था का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो। अंत में इस समूचेविषय के मुख्य प्रकरणों को समझने के दृष्टिकोण से क्रम बध्य पॉइंट्स में लिख रहा हूँ.:–

1. सभी पात्रता रखने वाले छात्रों को आवश्यक रूप से आगे प्रवेश मिले पढ़ाई से कोई भी वंचित न किया जाय क्योंकि पात्रता प्राप्त छात्रों को प्रवेश से मना करना छात्र के मूल अधिकारों का हनन है। आवश्यक होने पर कक्षा/विषय में सीटों को बढ़ाया जा सकता है ।

2. सभी प्रकार की कोचिंग को प्रतिबंधित कर दिया जाय। कोचिंग से जहाँ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास और उदासीनता उत्पन्न हुयी है वही कम्पटीशन की परीक्षाओं के कारण छात्रों में तनाव और विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग व् अवसाद उत्पन्न हो रहे हैं। जो जन हित वांछित नहीं हैं। सरकारी संरक्षण ऐसे संस्थानों से हटा लिए जाय। आगे पढ़ाई के लिए किसी भी प्रवेश परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाये।

3. स्कूलों और महाविद्यालयों में विषय बार समुचित अध्यापाक उत्तम ज्ञान वाले भर्ती किये जाय, साक्षात्कार के समय चयन समिति अभ्यर्थी से उसके विषय पर 250 शब्दों का कोई लेख पढ़वा कर निर्णय करें। शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान रखा जाय।

4. संकाय समितियां और विषय समितियां सुद्रण की जाय,जैसा की एक्ट और स्टटूटेस में नीहित है खा ली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर एक माह से अधिक पद खली नहीं रखे जायँ। विषय विशेषज्ञों के पद और सृजित किये जायें।

5. साक्षात्कार में पूर्व की कक्षा के विषय से ही प्रश्न किये जाय, कुछ सामान्य ज्ञान, गेम्स स्पोटर्स सिविक्स, प्रशासन, चुनाव व् सम्बंधित क्रियाओं की जानकारी, आदि के प्रश्न पूछ कर अभयर्थी की ज्ञान सीमा का अंदाज सुगमता से लग जाता है। इस प्रकार अन्य अनेक सुझाव और भी दिए जा सकते हैं एक बार सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति बन जाय कि हां वर्णित स्वरुप लाभकारी और छात्र हित में कारगर साबित होगा. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कुलाधिपति वर्ष में दो बार आंकलन करवाएं तो उत्तम रहेगा।

अभी इतना काफी।

प्रो. डॉ वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं डेरी व् खाद्य विज्ञ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान।

फाल्गुन में बही ठंडी बयार, छुटपुट बारिश के साथ ठंड बढ़ी

अजमेर, (कासं)। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचार और पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है। कई स्थानों पर बरसात के चलते तापमान में गिरावट हो सकती है। आने वाले और कुछ दिनों तक लोगों को सर्दी से निजात मिलने के आसार कम ही लग रहे हैं। फाल्गुन के मौसम में ठंडी बयार बह रही है। गर्मी के इस महीने के बावजूद इस बार ठंड का असर बना हुआ है।

फाल्गुन के मौसम में सोमवार को सुबह से ही बादलों की टुकड़ियों ने घेर लिया। अलसुबह से तेज ठंडी हवा के चलते कंपकंपी महसूस हुई। घरों में नलों का पानी भी ठंडा महसूस हुआ। घर आंगन में गलन बढ़ने से लोग ज्यादा परेशान रहे। दिनभर लोग सिर से पैर तक ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे।

आसमान में बादल छाए नजर आए। सर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। न्यूनतम तापमान 14.5 और अधिकतम 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अब महीना भले ही फाल्गुन का आ गया हो लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि दो दिन और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से सर्दी का असर फिलहाल बना रहेगा।

जीवों के प्रति दया दिखाने वाली दो बहनों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया

पुलिस किसी अपराधी की तरह दोनों बहनों को घसीटते हुए थाने ले गई और मारपीट भी की

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में जीव स्नेही दो सगी बहनों को एक स्वान की सेवा करने की एवज में पुलिस बर्बरता का शिकार बनना पड़ा है। पुलिस किसी अपराधी की तरह दोनों बहनों को पूरे मौहल्ले के लोगों के सामने घसीटते हुए थाने ले गई। गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट भी की। इतने से जी नहीं भरा तो धारा 151 में बंद करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। दोनों बहनों को जमानत करा कर रिहा होना पड़ा। अब पीड़ित बहनों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

जानकारी के अनुसार मंजू तथा गीता गोयल रावजी की हवेली, जूनी बागर, जोधपुर की रहवासी है। ये दोनों बहनें सनातन संस्कृति के अनुरूप वर्षों से जीव मात्र की सेवा सुश्रुषा करती आई है। गाय, कुत्तों को रोटी देना इनका नित्य कर्म है। इतना ही नहीं ये हर पशु पक्षी की सेवा में लगी रहती है। गली मौहल्ले के स्वानों को बीमार देखती है तो टैक्सी में पशु चिकित्सालय ले जाकर उनका उपचार करवाती है और जब तक वह जीव स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक उनकी सारसंभाल करती है। करीब एक माह पूर्व इनकी गली में मादा स्वान ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। कड़ाकेदार सर्दी कहर बरपा रही थी। संयोग से इन बहनों की नजर उन पर पड़ गई। इनकी दया जाग उठी। बाजार से तुरंत ही एक पिंजरा खरीद लाई। अपने घर की दीवार से सटाकर रखा और मादा स्वान तथा उनके पिल्लों को उसमें डालकर राहत की सांस ली।

इन्हें इस बात का संतोष था कि अब ये जीव सर्दी से नहीं मरेंगे, ना ही किसी वाहन के नीचे आएंगे। इन्हें पिंजरा रखे कुछ ही क्षण हुए होंगे कि कुछ पड़ौसियों ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इस पिंजरे को यहां क्यों रखा है। यहां तो हम अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। दोनों बहनों ने कहा कि यह पिंजरा हमने अपने घर की दीवार से सटा कर रखा है। आप लोग अपनी गाड़ियां अपने–अपने घरों के आगे रखो। इस पर सभी पड़ौसी एकजुट होकर लड़ाई झगड़ा करने लगे। दोनों बहनों ने पुलिस से मदद मांगी। मगर पुलिस ने किसी प्रकार की सहायता नहीं की। पड़ौसियों ने देख लेने की धमकी भी दी मगर ये दोनों बहनें डरी नहीं और

- **पुलिस ने दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, दोनों बहनों को जमानत कराकर रिहा होना पड़ा**
- **दोनों पीड़ित बहनों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है**

अपनी बात पर अटल रही।

21 फरवरी को दोपहर की 1.30 बजे के करीब आलोक पब्लिक स्कूल के मालिक गोपाल सांखला, भाजपा पार्षद राजेन्द्र टाक इत्यादि नगर निगम अतिक्रमण दस्ते से मिलीभगत करके आए और घर के बाहर रखे पिंजरे में से मादा श्वान तथा उसके छोटे पिल्लों को बेरहमी से उठाकर बाहर फैंक दिये और पिंजरा उठाकर ले जाने लगे। तभी बड़ी बहन मंजू ने पूछा कि हमारा पिंजरा क्यों ले जा रहे हो। तब अतिक्रमण दस्ता प्रभारी इस्पेक्टर रवि प्रकाश बारासा तथा टीम ने शर्मशार कर देने वाले शब्दों से अपमानित किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर रविप्रकाश ने पुलिस को कहा कि इनको ले जाओ। इस पर पुलिस ने बिना छानबीन किए दोनों बहनों को पकड़ लिया तथा पूरे मौहल्ले वालों के सामने घसीटते हुए जीप में बैठाकर रवाना हो गई। मार्ग में बड़ी बहन ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि किस अपराध में हमें पकड़ा है। इस पर पुलिस अधिकारी गालियां देने लगा। मंजू ने जीप में ही पुलिस अधिकारी के गलत आचरण का विरोध किया तो साथ वाली महिला पुलिसकर्मी ने मुंह पर थप्पड़े मारने शुरू कर दिए।

पुलिस दोनों बहनों को लेकर सिटी पुलिस थाने पहुंची। जहां नए सीआई ने कुछ मिनट पहले ही पदभार संभाला था। उन्होंने भी छानबीन किए बिना अपने स्टाफ पर भरोसा करके धारा 151 में बंद करने की स्वीकृति दे दी। इस पर दोनों बहनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दोनों बहनें शाम को जमानत के बाद घर पहुंची। दूसरे दिन ही दोनों बहने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची तथा ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच करा कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

साथ ही अपने अधिवक्ता के मार्फत नोटिस भेज कर अतिक्रमण प्रभारी रवि प्रकाश बारासा द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए जवाब तलब किया है।

मंजू ने बताया कि पुलिस अधिकारी तथा नगर निगम के अधिकारी ने हम महिलाओं भद्दी भद्दी गालियां देकर तथा मारपीट करके जघन्य अपराध किया है। पिंजरे में सुरक्षित बैठे श्वानों को घर से बेघर करना, उन्हें उठाकर फेंकना, पशु क्रूरता का भी अपराध कारित किया है जो कि गैरकानूनी व विधि विरुद्ध था। प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति को कतई शोभा नहीं देता कि वो विधिविरुद्ध तरीके से गैर कानूनी तरीके से अपनी मनमर्जी से अनैतिक कार्यवाही को अंजाम दे। उन्होंने कहा कि जीव दया करना हमें सनातन संस्कृति ने सिखाया है। पुलिस व नगर निगम अधिकारियों के बर्ताव से हमें गहरा आघात लगा है।

राशिफल मंगलवार 27 फरवरी, 2024

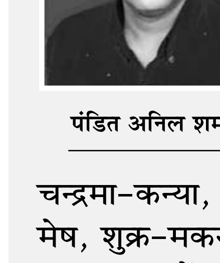

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, हस्त नक्षत्र बुधवार प्रातः 7:33 तक, शूल योग सांय 4:25 तक, वणिज करण दिन 12:35 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–कुम्भ, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–मकर, बुध–कुम्भ, गुरू–मेष, शुक्र–मकर, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज भद्रा दिन 12:35 से रात्रि 1:34 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:49 से 11:14 तक, लाभ–अमृत 11:14 से 2:05 तक, शुभ 3:31 से 4:56 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:57, सूर्यास्त 6:22

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

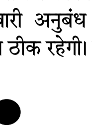

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कारोबारी अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है।

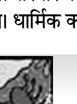

तुला
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। धार्मिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में वाद–विवाद टालना ठीक रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मकर
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

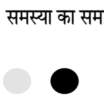

मीन
घर–परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।